

प्रेशक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
अलीगढ़

सेवा में,

सी.बी.एस. पब्लिक स्कूल  
खेड़ा सत्तू खैर अलीगढ़।

पत्रांक/बे०मान्यता/ 14496 /2015-16

दिनांक— 5-11-15

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 19.08.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पर्यवेक्षण पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं सी.बी.एस. पब्लिक स्कूल खेड़ा सत्तू खैर अलीगढ़ को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यवेक्षण/संवर्धन करने के लिये कोई बाधता विद्यमान नहीं है।
  - 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
  - 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
  - 4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
  - 5-सोसइटी/विद्यालय किसी कैंडिडेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
  - 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपाबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
    - (1)-प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जाएगा।
    - (2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
    - (3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
    - (4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 15 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (5)-अधिनियम के उपाबंध के अनुसार निःशुल्कता प्रत्येक/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (6)-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रा.म. पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करने।
  - (7)-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा है, और
  - (8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

  
Principal  
CBS Public School  
Khara Sattu, Khair (Aligarh)

  
- Manager -  
C. B. S. Public School  
Khara Sattu, Khair (Aligarh)

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल  
कुल निर्मित क्षेत्र  
कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल  
कक्षाओं की संख्या  
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सहस्रगण्डारागार के लिये कक्ष  
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय  
पेयजल सुविधा  
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई  
बाह्यारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी ।
- 10-विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह या संगन या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें ।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों के ऐसी-अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संख्यांकों के तहत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के तद्विनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
- 17-संलग्न उपाबंधों के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(संजय कुमार शुक्ल)  
जिला बालिक शिक्षा अधिकारी  
अलीगढ़।

  
**Principal**  
**CBS Public School**  
**Khera Sattu, Khair (Aligarh)**

  
**Manager**  
**C. B. S. Public School**  
**Khera Sattu, Khair (Aligarh)**